



## सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक -09.07.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 03 अभियोगों में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –**

**प्रकरण प्रथम** – कोतवाली कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 296/2023 (वाद संख्या – 13/2023) धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम संतोष उर्फ बब्लू पुत्र धनपत वर्मा निवासी मो0 राजेन्द्र नगर उरई कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/एनडीपीएस कोर्ट उरई द्वारा अभियुक्त संतोष उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधी एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रकरण द्वितीय** – थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 30/2023 (वाद संख्या – 10/2023) धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम सुन्दरलाल उर्फ सोनू शाक्यवार पुत्र रामचरन शाक्यवार निवासी ग्राम नरौल थाना रामपुरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/एनडीपीएस कोर्ट उरई द्वारा अभियुक्त सुन्दरलाल उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधी एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रकरण तृतीय** – थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 338/2014 (वाद संख्या – 14/2015) धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अल्लाफ पुत्र इलियास निवासी डढवा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/जीएसटी कोर्ट उरई द्वारा अभियुक्त अल्लाफ उपरोक्त को दोषी पाते हुये 01 वर्ष का कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।